वेबसाईट : www.abvp.org पंजिकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय- 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.
दूरभाष :(022) 24306321 / 24378866 फैक्स :24313938 ई-मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक: 23 मार्च 2022

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

बंगाल के बीरभूम में लोगों को जिन्दा जलाना भयावह: अभाविप

तृणमूल कांग्रेस की सरकार में बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक

बंगाल के बीरभूम में बच्चों एवं महिलाओं समेत 10 लोगों को जिंदा जला देने की हृदय विदारक घटना की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निंदा करती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल में कारुणिक अवस्था में पहुंच चुकी राज्य की कानून व्यवस्था का यह प्रथम उदाहरण नहीं है। पूर्व में भी, पांथिक एवं राजनैतिक आधार पर पश्चिम बंगाल के निवासियों को हिंसा का सामना करना पड़ा था। विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिहादी मानसिकता के तहत किए गए हिंसक कृत्यों के कारण एक बड़ी आबादी को कई इलाकों से पलायन करना पड़ा था।

विदित हो कि सोमवार की शाम को बीरभूम जिले के अंतर्गत आने वाली बार्शल पंचायत के उप-प्रधान भादू शेख की हत्या के बाद, रामपुरहाट इलाके में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच हिंसा भड़क गई। जिसके बाद, भारी आगजनी की गई और इसी में 6 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 10 लोगों की जिंदा जलकर मृत्यु हो गई।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा, "वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था का अस्तित्व खतरे में नज़र आता है। राज्य असामाजिक तत्वों का गढ़ बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति देखकर लगता है कि वामपंथी शासन का बर्बरतापूर्ण युग एक बार फिर बंगाल की धरती पर आकर खड़ा हो गया है। राजनैतिक मतभेद के कारण लोगों को जिंदा जला देना, मानवता को शर्मसार करने वाला काम है। हम इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की माँग करते हैं और समाज के सभी वर्गों से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे अनैतिक तत्वों के विरुद्ध खड़े हो।"

(यह प्रेस विज्ञप्ति केंद्रीय कार्यालय मंत्री सुमित पाण्डेय द्वारा जारी की गई है।)